देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™
जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल
JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल
रेफरेंस संख्या –2023/mmp/28 E-Newsletter, Issued in Public Interest बुधवार, 5 जुलाई 2023

नगर निगम ग्रेटर के विध्याधर नगर जोन मे अवैध निर्माणों की भरमार!!

बिना भूखंड का पुनर्विभाजन करवाए,बिना सेटबेक नियमों की पालना के बनाए जा रहे एक भूखंड पर तीन मकान!!

आखिर कहाँ है विध्याधर नगर ज़ोन के जिम्मेदार अधिकारी?

पार्ट-1

नगर निगम ग्रेटर के विध्याधर नगर ज़ोन मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 54-55 महाराणा प्रताप नगर पर बन रहे तीन अवैध मकानों का मामला!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

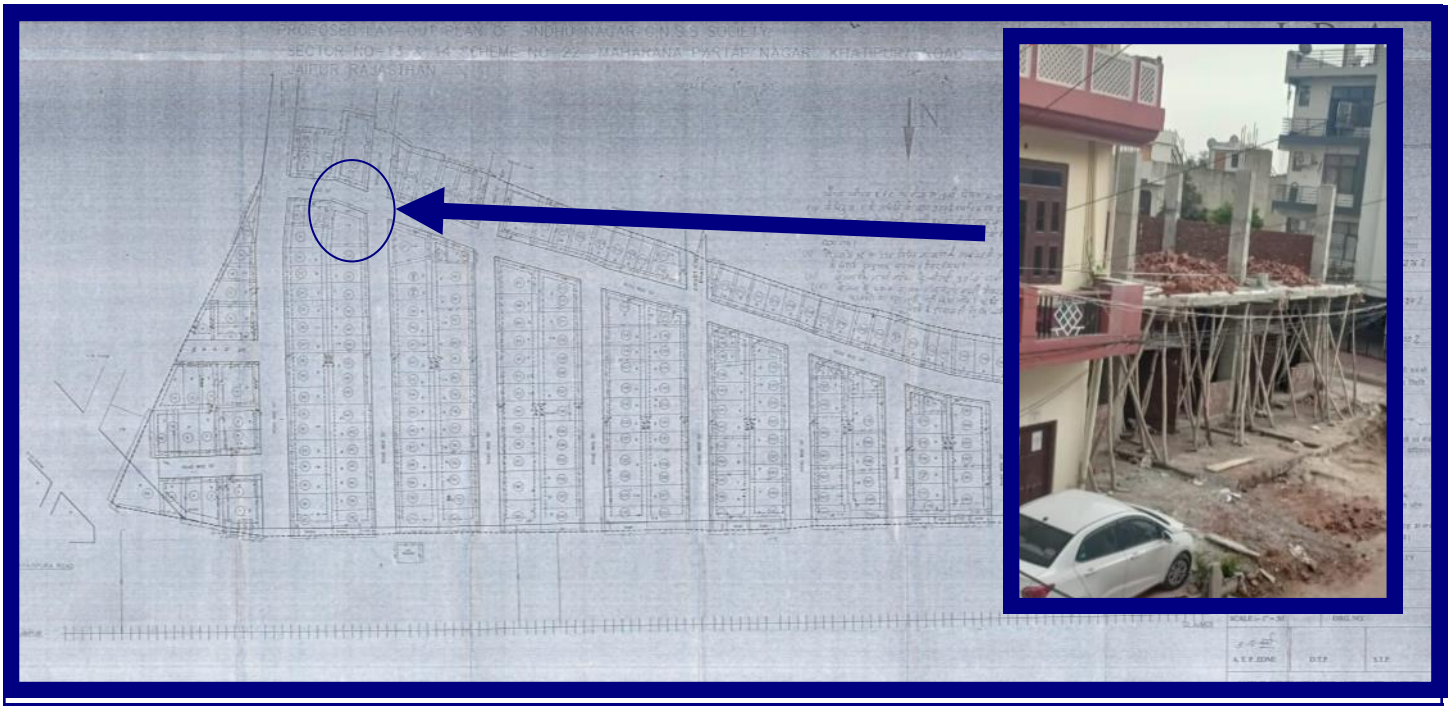

54	3202000544	SAVITRI RATHORE / RAMANAND SINGH	Residential		30/01/2006	30/01/2006 408.39 SQ. YARD			View
		BHANWAR KANWAR				14/11/2002			

क्या है विध्याधर नगर जोन मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 54-55 महाराणा प्रताप नगर पर बन रहे तीन अवैध मकानों का मामला!!

आपको बता दें कि नगर निगम ग्रेटर के विध्याधर नगर जोन मे स्थित 408.39 वर्ग गज का आवासीय भूखंड संख्या 54-55 महाराणा प्रताप नगर, jda रिकॉर्ड के अनुसार सावित्री राठोर के नाम दर्ज है(JDA के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2000 तक,वर्तमान मे इस योजना का रिकॉर्ड नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है)|अब इस भूखंड का स्वामित्व किसी स्थानीय बिल्डर के पास है|रिकॉर्ड के अनुसार इस भूखंड पर भवन निर्माण करते समय आगे 10 फीट और दोनों साईड मे 10 फीट और 8.3 फीट का सेटबेक छोड़ना अनिवार्य था|लेकिन बिल्डर द्वारा इस भूखंड का बिना पुनर्विभाजन करवाए,बिना सेटबेक नियमों की पालना करे,तीन-तीन स्वतंत्र आवास/वीला बनाए जा रहे है,जो कि भवन विनियमों के अनुसार अवैध है|

स्थानीय निवासियों की लाख शिकायतों के बावजूद नहीं रुक रहा काम,आखिर कहाँ है झोटवाडा ज़ोन के जिम्मेदार अधिकारी?

बिल्डर के इस अवैध निर्माण से परेशान स्थानीय निवासियों द्वारा जोन के jen से लेकर निगम के उपायुक्त तक फ़रियाद पहुंचाई जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद कार्यवाही की बजाय निर्माण कार्य को तेज कर दिया गया है|ऐसे मे एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर कहाँ है विध्याधर नगर ज़ोन के जिम्मेदार अधिकारी?

अवैध निर्माणों और आवासीय भवनों मे व्यवसायिक गतिविधियों के मामले मे उच्च न्यायालय द्वारा सख्ती करने के आदेश|

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध निर्माणों को नासूर की संज्ञा दी है|वही राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी डी.बी. सिविल रिट याचिका 1550/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज. सरकार मामले मे पारित राज उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कहा गया है कि मास्टर प्लान/ज़ोनल प्लान मे जिस क्षेत्र को निर्धारित(यथा आवासीय/व्यवसायिक/ संस्थानिक/अन्य) भू-उपयोग मे जिस क्षेत्र को निर्धारित किया गया है,उसी भू-उपयोग अनुसार उसकी अक्षरत: पालना की जाये|भवन विनियमों के विपरीत हो रहे अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत मे कंपाउंड नहीं किया जाकर,सील/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाए|

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stplsg407@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5707 दिनांक: 18.07.19

परिपत्र

राज्य सरकार के स्तर पर यह जानकारी में आया है कि राज्य के स्थानीय निकायों के क्षेत्र में बड़े स्तर पर आवासीय कॉलोनियों में व्यावसायिक निर्माण होने के साथ शून्य सैटबेक में अवैध निर्माण तथा सड़कों पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण किये जा रहे है। जिससे आम नागरिकों को स्वच्छ जीवन यापन के लिए स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, प्रदुषण मुक्त वातावरण, बाधामुक्त आवागमन एवं स्वस्थ स्वास्थ्य आदि में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जिससे आमजन को गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अवैध निर्माण से सुनियोजित विकास में अवरोध उत्पन्न होता हे एवं सरकार द्वारा जारी भवन विनियम औचित्यहीन हो जाते है। स्थानीय निकाय की अकर्मण्यता से नगर में अतिक्रमणों से आम नागरिक आहत महसूस करता है, इससे नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता हैं। स्थानीय निकाय की उदासीनत, कार्यरत कर्मियों/अधिकारियों के कर्तव्यों के पालन में कोताही बरतने से नगरीय निकाय को राजस्व हानि का दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है, तथा शहर दिन–प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। साथ ही गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी उक्त संदर्भ में कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में समस्त स्थानीय निकाय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को काफी गंभीरता से लिया जावे, जिससे बड़े स्तर पर हो रही राजस्व हानि को रोका जा सकें, साथ ही माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना की जा सकें। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि समस्त निकाय क्षेत्र में कोई भी किसी प्रकार का बिना स्वीकृति निर्माण कार्य नहीं होने दें, तथा अवैध निर्माण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जावे, बिना स्वीकृति किये जा रहे अवैध निर्माणों को तुरन्त प्रभाव से रोका जाकर उचित कार्यवाही करें। साथ ही यह सुनिश्चिता की जावें कि उक्त संबंध में लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(भवानी सिंह देथा) 18/07
शासन सचिव

क्रमांक: एफ.59.एसटीपी/डीएलबी/सामान्य–आदेश(862)/19/5708–5716 दिनांक: 18.07.19

प्रतिलिपी निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, नगरीय विकास, स्वायत शासन एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
5. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
6. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/
7. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका, समस्त।
8. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. System analyst cum Joint Director, DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को स्वायत्त शासन विभागकी वेबसाईट पर अपलोड करावें।

18/7
(उज्ज्वल राठौड़)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1	भूखंड का पता	आवासीय भूखंड संख्या 54-55 महाराणा प्रताप नगर
2	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना पुनर्विभाजन,बिना अनुमति,बिना नक्शे पास करवाए,बिना भवन विनियमों की पालना के,बिना पार्किंग, बिना सेटबैक छोड़े,आवासीय भूखंड पर तीन स्वतंत्र आवासों का निर्माण
3	बिल्डर/संबन्धित फर्म	नामालूम
4	संबन्धित ज़ोन	नगर निगम ग्रेटर,विध्याधर नगर ज़ोन
5	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	ज़ोन उपायुक्त
6	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	05/07/2023

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा इस भूखंड का सक्षम स्तर से भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग का सक्षम स्तर से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया जा रहा है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडो का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यूडी टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. यह मामला हमारे द्वारा नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान मे लाने के बावजूद यदि इस मामले मे कोई कार्यवाही नहीं होती है तो क्या निगम के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी मे नहीं आता है?

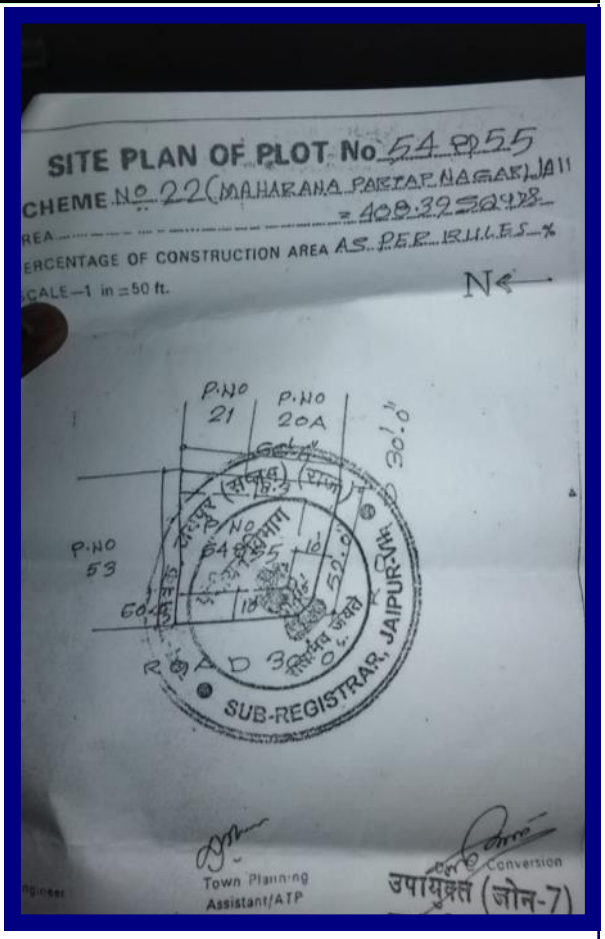

7. क्या नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार मे दिये गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
8. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है?क्यूँ उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?